कार्यालय धर्मशाला नगर निगम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है धर्मशाला नगर निगम की निम्नलिखित कार पार्किंग को एक बर्ष के लिए ठेके पर देने हेतू खुली बोली दिनांक 29.11.2021 को सुबह 11.30 बजे कार्यालय धर्मशाला नगर निगम में रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति बोली शुरू होने से पहले धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चैक जो कि आयुक्त धर्मशाला नगर निगम के नाम पर (देय होने चाहिए) जमा करवा कर खुली बोली में भाग ले सकते है। नियम व शर्तो के लिए धर्मशाला नगर निगम कार्यालय में दिनांक 27.11.2021 तक सुबह 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है या आप धर्मशाला नगर निगम की वेवसाईट https://edharamshala.in पर भी देख सकते है।

1. मैक्लोडगंज दलाई लामा मन्दिर रोड कार पार्किंग 11.30 बजे सुबह

अतिरिक्त आयुक्त,
धर्मशाला नगर निगम
दिनांकः

पृष्ठांकन संख्याःDMC/Engg (F) 14-13/2020-21-
प्रतिलिपि

1. महापौर, धर्मशाला नगर निगम को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।
2. आयुक्त, धर्मशाला नगर निगम को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।
3. उप नियन्त्रक, वित एवं लेखा धर्मशाला नगर निगम को सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।
4. सम्पादक पंजाब केसरी समाचार पत्र धर्मशाला को विज्ञापन प्रकाशित करने हेतू प्रेषित है।
5. सम्पादक दैनिक भास्कर समाचार पत्र धर्मशाला को विज्ञापन प्रकाशित करने हेतू प्रेषित है।
6. सम्पादक दिव्य हिमाचल समाचार पत्र धर्मशाला को विज्ञापन प्रकाशित करने हेतू प्रेषित है।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय धर्मशाला नगर निगम।

अतिरिक्त आयुक्त,
धर्मशाला नगर निगम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि धर्मशाला नगर निगम द्वारा दलाई लामा मन्दिर रोड की पार्किंग 1 वर्ष के लिए ठेके पर देने हेतू खुली बोली दिनांक 29.11.2021 को सुबह 11.30 बजे कार्यालय धर्मशाला नगर निगम में रखी गई है।

नीलामी की अवधि 01.12.2021 से 30.11.2022 तक होगी।

सरकारी बोली चौदह लाख रूपये

पार्किंग की दरों का विवरण		
स्कूटर/मोटर साईकल	00 से 02 घण्टे	10.00रू0
	02 से 06 घण्टे	20.00रू0
	06 घण्टे से उपर	5.00रू0 प्रति घण्टा
कार,जीप, वैन इत्यादि	00 से 02 घण्टे	30.00रू0
	02 से 06 घण्टे	50.00रू0
	06 से 12 घण्टे	150.00रू0
	12 घण्टे से उपर	200.00रू0 प्रति घण्टा
मासिक पास	स्कूटर/मोटर साईकल	600.00रू0 प्रति माह
मासिक पास	कार,जीप, वैन इत्यादि	2000.00रू0 प्रति माह

बोली के नियम व शर्ते

1. बोलीदाताओं को बोली शुरू होने से पहले 50,000/-(पच्चास हजार रू0) बतौर (Earnest Money) धरोहर राशि मौका पर जमा करवानी होगी जोकि असफल बोलीदाताओं को (द्वितिय बोली दाता के अतिरिक्त) बोली समाप्त होने पर वापिस कर दी जाएगी। तथा सफल बोली दाता की धरोहर राशि को पहली किस्त में समायोजित किया जाएगा।
2. सफल बोली दाता को मुवलिग 5,00,000/- रू0(पांच लाख रू0)रूपये की प्रतिभूतिराशि (Security Money) के रूप में जमा करवानी होगी जो कि वाद में ठेका अवधि पूर्ण होने पर वापिस कर दी जाएगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. बोलीदाता को कुल बोली राशि का 30 प्रतिशत बोली समाप्त होने पर दो दिन के भीतर जमा करना होगा व 20 प्रतिशत राशि 25 दिसम्बर 2021 तक तथा शेष 50प्रतिशत राशि प्रति माह एक समान 10 किस्तों के हिसाब से 10 पोस्ट डैटिड चैक वोली समाप्ति के तुरन्त वाद जमा करवाने होंगें। अवहेलना की सूरत में कार्य को दोवारा नीलाम किया जाएगा व धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाऐगा ओर ठेकेदार को पुनः बोली के लिए अयोग्य किया जाऐगा।
4. अगर बोलीदाता नियम व शर्तो के मुताविक 30 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाता है तो (Earnest Money) धरोहर राशि 50,000.00 रूपये जब्त करके उस सूरत में ठेके को रद्ध करके दूसरे नम्वर पर निविदा देने वाले व्यक्ति को ठेका दे दिया जाएगा।
5. विना धरोहर राशि जमा करवाये कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता।
6. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी जो आयुक्त धर्मशाला नगर निगम धर्मशाला के पक्ष में देय होगी।

7. सफल बोलीदाता को पार्किंग की ठेका राशि पर देय जी0एस0टी0 सहित स्वीकृति पत्र की तिथि से 2 दिनों के भीतर व पार्किंग की पूर्ण ठेका राशि पर देय टी. डी.एस.इत्यादि का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा। यह ठेका राशि के अतिरिक्त होगा तथा पार्किंग की शेष राशि के पोस्ट डेटिड चैक अग्रिम रूप में देने होंगें।

8. किसी भी प्रकार के आपसी विवाद को आयुक्त, धर्मशाला नगर निगम के समक्ष रखा जाएगा उनका निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायलय अधिकार क्षेत्र धर्मशाला शहर होगा।

9. बोली वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर की जाएगी।

10. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, व धर्मशाला नगर निगम द्वारा लगाया गया कोई भी कर/ सेवाकर बोलीदाता को अदा करना होगा।

11. बोलीदाता को नगर निगम से अदेय प्रमाण पत्र (No dues Certificate) संलग्न करना होगा। यह प्रमाण पत्र नीलामी सूचना जारी करने की तिथि के बाद व बोली से पहले की होनी चाहिए।

12. सफल बोलीदाता को बोली के उपरान्त नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तो के अनुसार इकरारनामा निर्धारित 7 दिन के अन्दर- अन्दर निष्पादित करना होगा अन्यथा सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम बोली रद्व समझी जाएगी।

13. बोली के नियमों व शर्तो पर यदि किसी बोलीदाता को कोई आपति हो तो वह 27 नवम्बर 2021 सायं 4.00 बजे से पहले अपनी आपतियां दायर कर सकता है, उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपति मान्य नही होगी।

14. आयुक्त धर्मशाला नगर निगम को बोली स्थगित/रद्व/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

15. सरकार एवं नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश सफल बोलीदाता को मान्य होंगें।

16. आयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त धर्मशाला नगर निगम या उनके द्वारा प्राधिकृत/कर्मचारी को ठेके पर आवंटित सम्पति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

17. सफल बोलीदाता को बोली की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर धर्मशाला नगर निगम से अनुबन्ध करना होगा।

18. ठेकेदार को पार्किंग की उगाही हेतू कर्मचारी अपने स्तर पर रखने होंगें व उनका ई.पी.एफ भी जमा करवाना होगा। ठेकेदार व कर्मचारियों मे यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होगा तो धर्मशाला नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नही होगी।

19. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुकसान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान पाये जाने की राशि काटकर बाकि की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर बोलीदाता को सम्पति का कब्जा शांतिपूर्वक नगर निगम को सौंपना होगा।

20. पार्किंग में प्राकृतिक या अप्राकृतिक स्थिति से वाहनों को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं होगी।

21. सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पत्ति में यदि बिजली, पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल बोलीदाता को स्वयं करना होगा।

22. सफल बोलीदाता को पार्किंग के गेट पर निर्धारित की गई दरों का 4X4 का बोर्ड लगाना होगा जिसमें नगर निगम कार्यालय का दूरभाष नम्बर तथा यथानिर्देशित अन्य जानकारी भी अंकित करनी होगी।

23. सफल बोलीदाता को स्थानीय लोंगों की सुविधा को देखते हुए व्यवसायिक पार्किंग में स्थानीय लोगों को सर्वप्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी।

24. सफल बोलीदाता को नगर निगम की अनुमति पर पात्र स्थानीय व्यक्ति को मासिक पास देना अनिवार्य होगा जिसका रजिस्टर नगर निगम और ठेकेदार दोनो को Maintain करना होगा। नगर निगम का कर्मचारी कभी भी इसका निरिक्षण कर सकता है। मासिक पास 6 महिने से अधिक अवधि का नहीं दिया जाएगा तथा 6 माह के वाद व्यक्ति को फिर से नवीनीकरण हेतू आवेदन करना होगा।

25. धर्मशाला नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह साल में 7 दिनों के लिए पार्किंग का कुछ भाग धार्मिक या अन्य समारोह करने के लिए उपयोग कर सकता हैं।

26. सफल बोलीदाताको नगर निगम द्वारा 01 दिसम्वर 2021 को पार्किंग स्थल का कब्जा पार्किंग फीस की उगाही हेतू दे दिया जाएगा।

आयुक्त,
धर्मशाला नगर निगम
17.11.2021